


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम लक्ष्मणगढ़ अलवर

पन्नाबाई बनाम वीरनसिंह वगै.

प्रा. पत्र 212 आर.टी.एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
14.10.2014	<p>आज यह प्रा.पत्र सायल के वकील ने मूल वाद के साथ प्रस्तुत कर गैर सायलान को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया हैं व शपथ पत्र प्रस्तुत किया। दर्ज हो।</p> <p>हमने वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली के साथ पेश दस्तावेजात एवं शपथ पत्र से प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः गैरसायलान को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तारीख पेशी दिनांक 02.12.2014 तक पाबन्द किया जाता है कि विवादित आ.ख.न. 3 रकबा 4-16, 44-0-15, 45 रकबा 3-01, 46 रकबा 2-16, 65 रकबा 3-13, 66 रकबा 3-17 कुल कित्ता 6 कुल रकबा 18 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम गोविन्दगढ तह0 गोविन्दगढ में सायलान के 4/9 भाग के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त आदेश की पालना में कोई एतराज हो तो उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें क्यों ना उक्त आदेश ताफैसला दावा स्थाई कर दिया जावें। आदेश जारी हो। अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब कर दिनांक 02.12.2014 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ अलवर </p> <p>21/11/14 रकबावाक के पत्रोप उपखण्ड अ. न. 3 वाक सुविधावाक व... 21/11/14... इ. उपखण्ड अलवर दिनांक... 20/11/14 को पेश हो। सुधाया: 2</p> <p>23/12/14 - आज सायलान की वकील का पत्र के डाक पत्र पर एमए. ए. के. र. पेश हुई। प्रसंगे सचिवान काइदेश की इवाक्य बदाये का निवेदन किया है। इ. 20. 11. 14 पत्र लीकाए विप्रा. काकर सचिवान काइदेश की इवाक्य निवेदन दिनांक. 20/11/14 को दर्ज तालीये पत्रावली पर 20/11/14 को पेश हो।</p>	

उप खण्ड अधिकारी
 लक्ष्मणगढ़ (अलवर) राज०

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

10.10.23 पत्रावली पत्रिका उपस्थित
 साबिक आदेश दिनांक.....
 की पालना में पत्रावली वास्ते 02224022 49147998
 दिनांक 10.11.23 को पेश हो।
 उपखण्ड अधिकारी
 गोविन्दगढ़ (अलवर)

10.11.23 पत्रावली पेश। P.O. साहब.....
 पत्रावली दिनांक 22/12/23 को पेश हो।

22.12.23 पत्रावली पेश। P.O. साहब.....
 पत्रावली दिनांक 10.1.24 को पेश हो।

10/11/24 पत्रावली पेश। P.O. साहब V.B. 51.....
 पत्रावली दिनांक 13/01/24 को पेश हो।

18.1.24 पत्रावली मूल पत्र के साथ पेश हुई। वकील
 साबिक अनुपस्थित। वकील व उनके साथीगण का
 बार-बार आवाम दिलायी गई। साथ 50.00
 रुपये तक इंटरकार किया तथा पुन आवाम दिलायी
 गई। इसके बावजूद वकील व उनके साथीगण
 उपस्थित नहीं आये। अतः साबिक फा-212 RTI
 वकील व उनके साथीगण की अदम्य छाप्पी -
 अदम्य फरकी में खारिज किया जाता है। पत्रावली
 फेसबल शमार होकर नम्बर से कम हो। बाद
 नामिल तन्वील मूल पत्र के साथ संलग्न हो।
 उपखण्ड अधिकारी
 गोविन्दगढ़ (अलवर) राज